अध्याय–III

लेन देनों की लेखापरीक्षा

3.1 निष्फल व्यय

बिना आवश्यकता के जनरेटर के क्रय पर ₹ 6.62 लाख का निष्फल व्यय

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–छः के प्रस्तर–179 के उपबन्धों के अन्तर्गत भण्डार सामग्री का क्रय अग्रिम रूप से अथवा आवश्यकता से अधिक करने के परिणामस्वरूप शासन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हानि वहन करनी पड़ती है।

नगर पंचायत, दिबियापुर, औरैया के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी, 2011) में पाया गया कि अपर जिला अधिकारी, औरैया द्वारा (मई 2009) 62.5 के0वी0ए0 के जनरेटर के क्रय हेतु मेसर्स पावर साल्यूशन किर्लोस्कर हाउस, लखनऊ को आपूर्ति आदेश (जून 2009) के साथ ₹ 6.62 लाख का अग्रिम भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से दिया। टेण्डर नोटिस की निर्बन्धन एवं शर्तों के अनुसार फर्म को जनरेटर का पम्प हाउस में स्थापन एवं संयोजन करना था। फर्म द्वारा (जुलाई 2009) जनरेटर की आपूर्ति दो वर्ष की वारंटी अथवा 5000 रनिंग घण्टों के साथ कर दी गयी परन्तु फर्म द्वारा आपूर्तित जनरेटर नगर पंचायत में पड़ा था जबकि फर्म को पूर्ण भुगतान बिना संयोजन एवं स्थापन के कार्य पूर्ण हुए कर दिया गया जिसके लिए नगर पंचायत उत्तरदायी था। जनरेटर की वारंटी की अवधि समाप्त हो चुकी थी। लेकिन जनरेटर बिना उपयोग के पड़ा था। यह दर्शाता है कि जनरेटर का क्रय बिना आवश्यकता के किया गया एवं इसके क्रय पर ₹ 6.62 लाख का निष्फल व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर अधिशासी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2011) कि जनरेटर की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं था। उत्तर से पुष्टि होती है कि जनरेटर का क्रय बिना आवश्यकता के किया गया था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अगस्त 2011); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2012)।

3.2 परिहार्य व्यय

निर्धारित विशिष्टियों का अनुपालन न करने से बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 सड़क के निर्माण में टैक कोट के लिए बिटुमिन की अधिक खपत के परिणामस्वरूप ₹ 5.56 लाख का परिहार्य व्यय।

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों (अगस्त 2007) के अधीन बिटुमिनस सर्फेश अथवा प्राइम्ड सर्फेश के ऊपर बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 का कार्य करने हेतु टैक कोट

के कार्य हेतु बिटुमिन के खपत की मात्रा प्रति 100 वर्गमीटर सड़क हेतु 25 कि0ग्रा0 निर्धारित है।

नगर निगम, गोरखपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर, 2010) में पाया गया कि सात सड़कों का निर्माण वर्ष 2007–10 के दौरान अवस्थापना विकास निधि एवं निगम निधि के अन्तर्गत 62,742.695 वर्गमीटर क्षेत्रफल में किया गया। इन मार्गों के बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 के कार्य में टैक कोट हेतु प्राइम्ड एवं बी0एम0 सर्फेश के ऊपर 50 किग्रा0 प्रति 100 वर्गमीटर की दर से बिटुमिन की खपत की गयी थी, जबकि 25 कि0ग्रा0 प्रति 100 वर्गमीटर अनुमन्य थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.56 लाख का अधिक व्यय हुआ **(परिशिष्ट–3.1)**।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2010) नगर निगम द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि भविष्य में सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार कराया जाएगा।

इस प्रकार, लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों का अनुपालन न करने से बिटुमिन की अधिक खपत के परिणामस्वरूप ₹ 5.56 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2011); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2012)।

3.3 अनियमित व्यय

बारहवें वित्त आयोग के अनुदान ₹ 1.18 करोड़ का व्यय प्रावधान के विरूद्ध भूमि अध्यापित हेतु किया जाना।

बारहवें वित्त आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुदानों का व्यय शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केवल एकत्र करने, अलग करने एवं ढोने के कार्य हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। अनुदान का उपयोग ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु भूमि के क्रय पर करने का कोई प्रावधान नहीं है।

नगर निगम, गोरखपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2010) में पाया गया कि नगर निगम के पास (अप्रैल 2009) ₹ 1.37 करोड़ बारहवें वित्त आयोग के अनुदान की धनराशि अवशेष थी। नगर निगम द्वारा (सितम्बर 2009) ₹ 1.18 करोड़ का व्यय ठोस अपशिष्ट

प्रबन्धन हेतु भूमि के क्रय पर किया गया जबकि इसका व्यय ठोस अपशिष्ट एकत्र करने, अलग करने एवं ढोने के लिए किया जाना था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2010) उत्तर में बताया गया कि ₹ 1.18 करोड़ की धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट हेतु भूमि के अर्जन के लिए स्थानान्तरित की गयी थी।

उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि नगर निगम द्वारा प्रावधानों एवं दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर निधि का अनियमित उपभोग किया गया।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2011), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2012)।

3.4 परिहार्य व्यय

केबिल के अधिक क्रय करने से ₹ 20.65 लाख का परिहार्य व्यय।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–छः के प्रस्तर 179 के प्रावधानों के अनुसार भण्डार सामग्री का क्रय अग्रिम रूप से अथवा आवश्यकता से अधिक करने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप में शासन को हानि होने की सम्भावना होती है इसलिए इससे बचना चाहिए।

नगर पालिका परिषद, समथर झाँसी के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2010) में पाया गया कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद द्वारा (अगस्त 2009) 5000 मीटर 16 एम0एम0 की एल्यूमीनियम केबिल का क्रय मेसर्स राय सप्लायर्स झाँसी से न्यूनतम निविदा दर के आधार पर कर लिया एवं ₹ 15.34 लाख का भुगतान ₹ 295/– प्रति मीटर की दर से स्ट्रीट लाइटिंग हेतु किया गया (अगस्त 2009)। अधिशासी अधिकारी द्वारा पुनः 7000 मीटर केबिल का क्रय उसी विशिष्टियों एवं उसी आपूर्तिकर्ता से किया एवं ₹ 20.65 लाख का भुगतान (अक्टूबर 2009) ₹ 295/– प्रति मीटर की दर से उसी उद्देश्य के लिये किया गया। स्टाक पंजिका की जांच में पाया गया कि नगर पालिका परिषद में पूर्व से ही 640 मीटर केबिल स्टाक में अक्टूबर 2009 में उपलब्ध था तब भी 7000 मीटर केबिल अतिरिक्त क्रय बिना किसी सर्वे, वास्तविक आवश्यकता के किया गया। स्टाक में अक्टूबर 2009 में कुल 7,640 मीटर केबिल अवशेष था एवं क्रय के 12 माह व्यतीत होने के उपरान्त अक्टूबर 2010 तक 7000 मीटर केबिल पड़ा था। इस प्रकार ₹ 20.65 लाख में 7000 मीटर केबिल बिना सर्वे

के अग्रिम रूप में क्रय करने से अप्रयुक्त पड़ा था। पुनः नगर पालिका परिषद द्वारा (सितम्बर 2011) स्टाक रजिस्टर की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसमें 5,742 मीटर[17] केबिल श्री फूलखान, इलेक्ट्रीशियन को निर्गत दर्शायी गयी जो (अक्टूबर 2010 से मई 2011) आठ माह में निर्गत की गयी, अधिकतर सामग्री का निर्गम कम समय में बल्क में बिना उसके उपभोग प्रमाण पत्र सत्यापित हुए किया गया। इस प्रकार, इलेक्ट्रीशियन को बल्क में स्टाक निर्गत करना केवल स्टाक स्थानान्तरण करना था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया (सितम्बर 2011) की 5000 मीटर केबिल का उपयोग 206 खम्बों में 6 मार्च से 15 दिसम्बर 2010 के दौरान किया गया। उत्तर तथ्यों के विपरीत था क्योंकि इलेक्ट्रिशियन द्वारा 206 खम्बों में केबिल का उपयोग मार्च 2010 तक अभिलिखित किया था एवं स्टाक से निर्गत बाद की तिथि (अक्टूबर 2010 से मई 2011) में केवल स्टाक स्थानान्तरण था। अतः अधिशासी अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं है। इस प्रकार, 7000 मीटर केबिल का क्रय ₹ 20.65 लाख में बिना तत्काल आवश्यकता के अग्रिम एवं अधिक किया गया था जिसका उपयोग सितम्बर 2011 एवं 24 माह की अवधि व्यतीत होने पर भी नहीं किया जा सका था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2011), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2012)।

3.5 निधि का अवरोधन

लखनऊ में सालिड–वेस्ट ट्रीटमेन्ट की परियोजना अनियोजित ढंग से आरम्भ करने के कारण ₹ 10.73 करोड़ की निधि 45 माह तक अनुत्पादक पड़े रहना।

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार मिशन के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तभी तैयार करना एवं अनुमोदित करना चाहिए जब वांछित भूमि शहरी स्थानीय निकाय/समानान्तरण के स्वामित्व/पूर्व में क्रय की गयी हो तथा भू–स्वामित्व भारमुक्त एवं स्पष्ट हो। निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित परियोजना को निष्पादित करने के लिए नगर निगम, लखनऊ के सम्बन्ध में एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ₹ 42.92 करोड़ की लागत में (केन्द्रीय संस्वीकृत एवं अनुश्रवण समिति नें) अनुमोदित किया

[17]30 अक्टूबर, 2010 1500 मीटर, 01 नवम्बर 2010 42 मीटर, 13 अप्रैल 2011 100 मीटर, 28 मई 2011 2000 मीटर, 30 मई 2011 1500 मीटर एवं 31 मई 2011 600 मीटर।

गया। नगर निगम के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 2010) तथा निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ से संग्रहीत सूचनाओं (जुलाई 2011) से पता चला कि योजना की राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी ने शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत शोधन संयंत्र के निर्माण से सम्बन्धित प्राथमिक कार्य आरम्भ करने हेतु नगर निगम को ₹ 10.73 करोड[18]. अन्तरित किया (नवम्बर 2007) बदले में नगर निगम ने शोधन संयंत्र के निर्माण को आरम्भ करने हेतु महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ (निष्पादन अभिकरण) को ₹ 3.48 करोड़ अन्तरित किया (फरवरी 2008) तथा अवशेष धनराशि ₹ 7.25 करोड़ नगर निगम के पास पड़ी थी। फिर भी, चिन्हित भूमि के विवादित होने के कारण नगर निगम से प्राप्त की गयी निधियों के 45 माह व्यतीत होने के पश्चात् भी कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका (जुलाई 2011)। इस प्रकार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना नगर निगम को प्रदान किया गया ₹ 10.73 करोड़ 45 माह से अप्रयुक्त पड़ा था (नगर निगम के पास ₹ 7.25 करोड़ तथा निष्पादन अभिकरण के पास ₹ 3.48 करोड़)।

इंगित किये जाने पर, निदेशक ने बताया (जुलाई 2011) कि भारत सरकार की प्रत्याशा के अनुसार संस्वीकृत (2006–07) परियोजना नियत समय के अन्दर पूर्ण किया जाना था। अक्टूबर 2008 तक डसरी ग्राम में अपेक्षित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर थी तथा निधियाँ निष्पादन अभिकरण को कार्यारम्भ हेतु अवमुक्त की गयी थी किन्तु भूमि के विवादित हो जाने के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका तथा प्रकरण न्यायालय में ले जाया गया।

भारमुक्त एवं स्पष्ट स्वामित्व वाली भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश में उपबन्ध किया गया था। परियोजना हेतु चिन्हित भूमि के विवादित हो जाने से प्रदर्शित होता है कि भूमि के स्वामित्व का सम्यक सत्यापन नगर निगम द्वारा नहीं किया गया था तथा परियोजना हेतु निधियाँ अवरूद्ध हो गयी। इस प्रकार, उत्तर मान्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण हेतु प्रक्रिया से बहुत पहले (अक्टूबर 2008) ही नगर निगम एवं निष्पादन अभिकरण को क्रमशः नवम्बर 2007 एवं फरवरी 2008 में निधियाँ अन्तरित की गयी थी। अतः परियोजना कार्य के अनियोजित होने के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत

[18] भारत सरकार का अंश ₹ 5.36 करोड़, राज्य सरकार ₹ 2.15 करोड़ एवं नगर निगम ₹ 3.22 करोड़ का अंश धनराशि में सम्मिलित है।

शहर में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट हेतु शोधन संयंत्र निधियों की उपलब्धता के 45 माहों के पश्चात् स्थापित नहीं की जा सकी तथा अन्तरित की गयी धनराशि अनुत्पादक पड़ी थी।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया था (जून, 2011); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2012)।

इलाहाबाद
दिनांक

यू.पी. सिंह सिसोदिया
उपमहालेखाकार
स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

इलाहाबाद
दिनांक

मुकेश पी. सिंह
प्रधान महालेखाकार
(सिविल आडिट) उत्तर प्रदेश